

कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, हापुड़।

पत्रांक C-171 / पि0व0क0 / द0छ0शु0 / 2020-21

दिनांक: 04-09-2020

समस्त प्राचार्य/प्रधानाचार्य/प्रबन्धक/इण्टर कॉलेज/
डिग्री कॉलेज/मैनेजमेंट/इंजीनियरिंग/मेडिकल संस्थान,
जनपद हापुड़।

विषय:- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु निर्गत संशोधित समय-सारिणी के अनुसार समयान्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक कृपया निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या 801/पि0व0क0/2020-21 दिनांक 03 सितम्बर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करना सुनिश्चित करें, जिसके साथ मुख्य सचिव, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 107/2020/2122/26-3-2020-4 (358)/07 टी0सी0 ।।। दिनांक 02 सितम्बर, 2020 के द्वारा कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन आनलाईन करने से लेकर वितरण तक की संशोधित समय-सारिणी निर्गत की है जिसे संलग्न कर इस निर्देश के साथ है कि निर्गत संशोधित समय-सारिणी के अनुसार जनपद में संचालित सभी कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं की संस्थाएँ छात्रवृत्ति सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(अभिषेक कुमार सरोज)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
हापुड़।

पृष्ठांकन एवं तददिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1- जिलाधिकारी महोदया, हापुड़।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हापुड़।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, हापुड़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने स्तर से भी जनपद की सभी शैक्षणिक संस्थाओं को उक्त संशोधित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
हापुड़।

प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक ९०१ / पि०व०क० / 2020-21, लखनऊ : दिनांक ०३ सितम्बर, 2020
विषय- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु निर्गत संशोधित समय-सारिणी के अनुसार समयान्तर्गत कार्यवाही किये जाने संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 शासनादेश संख्या-107/2020/2122/26-3-2020-4(358)/07टी.सी.।।। दिनांक 02 सितम्बर, 2020 द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन करने से लेकर वितरण तक की समस्त कार्यवाही सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित कराये जाने हेतु विस्तृत संशोधित समय-सारिणी जारी की गयी है।

अतः मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 02 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत संशोधित समय-सारिणी की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि उक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से जनपद में व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का निर्धारित समयान्तर्गत क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,

Sm
03.9.2020
(डा० वन्दना वर्मा)

निदेशक।

पृ०सं० / ९०१ / पि०व०क० / 2020-21 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- अपर प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2
- 2- निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ०प्र० को समस्त राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- 3- निदेशक, समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ०प्र०।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
- 7- समस्त उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार निर्गत समय-सारिणी के अनुसार निर्धारित समयान्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने मण्डल के सम्बन्धित जनपदों के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

Sm
03.9.2020
(डा० वन्दना वर्मा)


निदेशक।

	नारायण रोड, कल्याण भवन, लखनऊ-226001) से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना। (नोट:-राज्य से बाहर की नवीन संस्थाएँ पासवर्ड के लिये 30 सितम्बर 2020 तक ही आनलाइन आवेदन कर सकती हैं।)		
1वीं	योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थाएँ) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनाएँ भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना।	01 जुलाई 2020 से 18 सितम्बर 2020 (नोट:-राज्य से बाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा सूचनाओं को आनलाइन अंकित कर सकती हैं।)	20 अक्टूबर 2020 तक (नोट:-राज्य से बाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा सूचनाओं को आनलाइन अंकित कर सकती हैं।)
2	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करना।	01 सितम्बर 2020 से 15 अक्टूबर 2020 तक	01 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक
2ए	योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आनलाइन लाक किया जाना।	21 सितम्बर 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक	02 नवम्बर 2020 से 01 दिसम्बर 2020 तक
3	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण आनलाइन लाक किया जाना एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करना।	16 अक्टूबर 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक	02 नवम्बर 2020 से 01 दिसम्बर 2020 तक
दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति -समूह 1, 2, 3 व 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा 11-12 के छात्रों हेतु			
4	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना। (आनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं हेतु 01 अगस्त से 05 नवम्बर 2020 तक अनवरत जारी रहेगा।)	01 अगस्त से 25 अगस्त 2020 तक	01 अगस्त से 05 सितम्बर 2020 तक
5	छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हार्डस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का कमांक तथा आवेदन का कमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
6	ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा यांचित संलग्नकों सहित	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर, विलम्बतम 08

	शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	01 सितम्बर 2020 तक	सितम्बर 2020 तक
7	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित, वापस एवं अग्रसारित करना। (नोट:-02 अगस्त से 11 सितम्बर 2020 तक संस्था से अग्रसारित सही नवीनीकरण के छात्र/छात्राओं को ही 02 अक्टूबर 2020 को मुगतान हेतु डाटा शामिल किया जायेगा।)	02 अगस्त से 07 सितम्बर 2020 तक	02 अगस्त से 11 सितम्बर 2020 तक
8	छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा आनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	08 सितम्बर से 20 नवम्बर 2020 तक	11 सितम्बर से 20 नवम्बर 2020 तक
9	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	15 सितम्बर 2020 तक	21 सितम्बर 2020 तक
10	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना। (नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्रों के लिये)	08 सितम्बर से 15 सितम्बर 2020 तक	12 सितम्बर से 19 सितम्बर 2020 तक
11	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना (नवीनीकरण (Renewal) के शुद्ध (Correct) छात्र/छात्राओं के लिये)	16 सितम्बर 2020 से 28 सितम्बर 2020 तक	20 सितम्बर 2020 से 29 सितम्बर 2020 तक
12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्र/छात्राओं का एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से भौग सुजित कराना।	30 सितम्बर 2020 तक	30 सितम्बर 2020 तक
13	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्रों को कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	01 अक्टूबर 2020 तक	01 अक्टूबर 2020 तक
14	प्रत्येक जनपद में 5 छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण-पत्र वितरण करना।	02 अक्टूबर 2020 को	02 अक्टूबर 2020 को


नोट:-

- 1- पूर्व समय-सारिणी के सम्बन्ध में जारी शासनादेश दिनांक 15 जून, 2020 के अन्य प्राविधान पूर्ववत् लागू रहेंगे।
 - 2- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी/उत्तीर्ण/प्रोन्नत होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।
 - 3- छात्र/छात्रा के आधार प्रमाणीकरण एवं आधार से लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी को अंकित करने पर ही आवेदन टेम्परेरी लॉक किया जा सकेगा।
 - 4- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन आनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का प्राप्तांक एवं पूर्णांक भरना अनिवार्य होगा।
 - 5- विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही विलम्बतम 10 सितम्बर, 2020 तक अपलोड करेंगे जिससे कि 02 अक्टूबर, 2020 तक नवीनीकरण के पत्र छात्र/छात्राओं का भुगतान किया जाना सम्भव हो सके।
- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।


(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

पु0सं0- 107 / 2020 / 2122 (1) / 26-3-2020 तददिनांक:-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
 - 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
 - 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
 - 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
 - 5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
 - 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
 - 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
 - 8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
 - 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
 - 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।